

## कशिशरों हेतु सहमतकी आयु

### प्रलिमिस के लयि:

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियिम, 2012, भारतीय दंड संहति।

### मेन्स के लयि:

POCSO अधनियिम और संबधति चतिओं के तहत कशिशरों हेतु सहमतकी आयु।

## चरचा में क्यो?

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने [यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधनियिम, 2012 \(POCSO अधनियिम\)](#) के तहत दायर एक मामले को खारजि करते हुए कहा कि भारत के वधिआयोग को कशिशरों हेतु सहमतकी उमर पर पुनर्वचिर करना होगा।

- न्यायालय ने कहा, 18 साल से कम उमर की लड़की द्वारा सहमतकी पहलू पर वचिर करना होगा अगर यह वास्तव में [भारतीय दंड संहति](#) और/या पॉक्सो अधनियिम के तहत अपराध है।

## यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियिम, 2012:

- यह 18 वर्ष से कम उमर के कसि भी वयकत को बच्चे के रूप में परभाषति करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक वकिस को सुनश्चिति करने के लयि हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हति तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है।
- यह यौन शोषण के वभिन्नि रूपों को परभाषति करता है, जसिमें भेदक और गैर-भेदक हमले, साथ ही यौन उत्पीडन एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं।
- ऐसा लगता है कि कुछ परस्थितियों में यौन हमलों की घटनाएँ बढ़ गई हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परविर के कसि सदस्य, पुलसि अधिकारी, शकिषक या डॉक्टर जैसे वशिवसनीय लोगों द्वारा कथि जाता है।
- यह जाँच प्रकरथि के दौरान पुलसि को बाल संरक्षक की भूमकि भी प्रदान करता है।
- अधनियिम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का नपिटारा अपराध की रपौरट की तारीख से एक वर्ष के भीतर कथि जाना चाहयि।
- अगस्त 2019 में बच्चों के [खलिाफ यौन अपराधों](#) में मृतयुदंड सहति कठोर सज़ा देने के लयि इसमें संशोधन कथि गया था।

## संबधति चतिाएँ:

- **कानून का दुरुपयोग:**
  - पछिले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब न्यायालयों ने बलात्कार और अपहरण की आपराधिक कारयवाही को यह मानते हुए रद्द कर दथि कि कानून का दुरुपयोग एक या दूसरे पक्ष के लयि कथि जा रहा है।
  - कई मामलों में युगल, माता-पति के वरिध के डर से घर से भाग जाता है, जसिके परणामस्वरूप ऐसी स्थति उत्पन्न होती है जब परविर द्वारा पुलसि में मामला दर्ज़ कथि जाता है, जसिमें लड़के पर POCSO अधनियिम के तहत बलात्कार और IPC या बाल वविाह नषिध अधनियिम, 2006 के तहत शादी करने के प्रयास के साथ अपहरण का मामला दर्ज़ कथि जाता है।
    - यहाँ तक कि अगर लड़की 16 साल की है, तो उसे POCSO अधनियिम के तहत "नाबालगि" माना जाता है, इसलयि उसकी सहमतकी कोई मायने नहीं रखती है अर्थात् सहमतकी से बने शारीरिक संबध को भी बलात्कार के रूप में माना जाता है, इस प्रकार यह कड़ी सज़ा का आधार बन जाता है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली:**
  - गैर-शोषणकारी और सहमतकी वाले संबधों में कई युवा जोड़ों ने स्वयं को आपराधिक न्याय प्रणाली में उलझा हुआ पाया है।
- **ब्लैकट क्रमिनलाइज़ेशन:**
  - सहमतकी वाली यौन गतवधियों के कारण कसि भी अधिक उमर के कशिशर की गरमि, हति, स्वतंत्रता, गोपनीयता, स्वायत्तता वकिसति करने की तथा वकिसात्मक क्षमता कमज़ोर होती है।

■ **अदालतों पर दबाव:**

- इन मामलों की वजह से न्यायालयों पर अत्यधिक दबाव के कारण न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।
- न्यायालयों पर दबाव के कारण बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के वास्तविक मामलों की जाँच एवं अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याएँ आती हैं।

## आगे की राह

- कशिरों को संबद्ध **अधिनियम और IPC के कड़े प्रावधानों से अवगत कराना** एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- सहमति की उम्र को संशोधित करने और तथ्यात्मक रूप से सहमति से और गैर-शोषणकारी कृत्यों में संलग्न अधिक उम्र के कशिरों के अपराधीकरण को रोकने के लिये कानून में अनिवार्य रूप से सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर वचिार कीजयि: (2010)

1. वकिस का अधकिकार
2. अभवियक्ता का अधकिकार
3. मनोरंजन का अधकिकार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से बच्चे का अधकिकार है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनसिफ) की स्थापना करके बाल अधिकारों के महत्त्व को घोषित करने की दशा में अपना पहला कदम उठाया। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, जिससे यह बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ बन गया।
- बाल अधिकारों पर वशिष रूप से केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का पहला दस्तावेज़ बाल अधिकारों की घोषणा था, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ होने के बजाय यह सरकारों के लिये आचरण के नैतिक मार्गदर्शक की तरह था। यह 1989 तक नहीं था कि वैश्विक समुदाय ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया, जिससे यह बाल अधिकारों से संबंधित पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ बन गया।
- कन्वेंशन, जो 2 सितंबर, 1990 को लागू हुआ, में जीवन के अधिकार, वकिस का अधकिकार, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होने का अधकिकार, सुरक्षा का अधकिकार, भागीदारी का अधकिकार, अभवियक्ता सहित बाल अधिकारों की वभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए 54 अनुच्छेद शामिल हैं। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः वकिल्प (d) सही उत्तर है।

[स्रोत: द हट्टि](#)